भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4363
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम

4363. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के महीने में देश में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईसी) से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है;
(ख) यदि हां, तो मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने एईसी के प्रसार के कारणों का पता लगाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और
(घ) भविष्य में इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार की योजना क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): देश में एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के संभावित मामलों की सूचना एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को पी (अनुमानित) प्रपत्र के माध्यम से दी जा रही है और वर्ष 2024 में पी प्रपत्र के अनुसार 0-15 वर्ष की आयु के एईएस से प्रभावित बच्चों की संख्या 5407 है। 0-15 वर्ष की आयु के बच्चों की मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
(ग): जन स्वास्थ्य उपाय करने और प्रकोप की विस्तृत माहमारी विज्ञान संबंधी जांच करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप अनुक्रिया दल (एनजेओआरटी) का गठन किया गया है। आईडीएसपी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) पुणे के विशेषज्ञ एनजेओआरटी का हिस्सा हैं।

(घ): एईएस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुलग्नक 2 में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-1

बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के संबंध में दिनांक 20.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4363 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुमानित मामलों और मौतों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम-2024*-आईएचआईपी पोर्टल		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**0-15 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	60
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	0
8	दिल्ली	0
9	गोवा	0
10	गुजरात	11
11	हरियाणा	0
12	हिमाचल प्रदेश	0
13	जम्मू और कश्मीर	4
14	झारखंड	0
15	कर्नाटक	1
16	केरल	2
17	लद्दाख	0
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	1
20	महाराष्ट्र	0
21	मणिपुर	0
22	मेघालय	1
23	मिजोरम	0
24	नागालैंड	0
25	ओडिशा	0
26	पुद्दूचेरी	0
27	पंजाब	0
28	राजस्थान	0
29	सिक्किम	1
30	तमिलनाडु	1
31	तेलंगाना	
32	दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव	0
33	त्रिपुरा	3
34	उत्तराखंड	0
35	उत्तर प्रदेश	0
36	पश्चिम बंगाल	0
कुल योग		85
* दिनांक 16-12-2024 समय: सांय 4 बजे तक की स्थिति के अनुसार आईएचआईपी पोर्टल से दिनांक 15/12/2024 का डेटा		

अनुलग्नक -2

बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के संबंध में दिनांक 20.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4363 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

एईएस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

- रोग का शीघ्र पता लगाने और अनुक्रिया के लिए भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में निगरानी प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, आईडीएसपी को देश में प्रकोप प्रवण संचारी रोगों की निगरानी और अनुक्रिया के साथ अधिदेशित किया गया है। आईडीएसपी सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है। यह कार्यक्रम 40 से अधिक महामारी प्रवण रोगों की निगरानी करने और इनके कारण होने वाले प्रकोपों पर अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। आईडीएसपी देश में उभरती और फिर से उभरने वाली बीमारी की त्वरित अनुक्रिया और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- जन स्वास्थ्य उपाय करने और प्रकोप की विस्तृत माहमारी विज्ञान संबंधी जांच करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप अनुक्रिया दल (एनजेओआरटी) की स्थापना की गई है।

- मामलों की शीघ्र पहचान के लिए सक्रिय निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य त्वरित अनुक्रिया दलों और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मी) और सहायक नर्स और मिडवाइफरी (एएनएम) को प्रशिक्षित किया गया है।

- रोग के फैलाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता हेतु सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी) कार्यकलाप। यदि अपेक्षित हो तो, परिवारों के साथ सीधे सम्प्रेषण के लिए घर-घर जाकर पारस्परिक सम्प्रेषण करना ताकि उन्हें निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके।

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीवीबीडीसी) द्वारा एक संयुक्त एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित वेक्टर नियंत्रण उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाएं और यह स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए संदिग्ध एईएस रोगियों को नामोद्दिष्ट सुविधा केन्द्रों में समय पर रेफर करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य रोकथाम के उपायों के बारे में समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना भी है।

- जन स्वास्थ्य आपातकालीन प्रचालन केंद्र (पीएचईओसी) एनजेओआरटी की क्रिया विधियों का समन्वय करने और फील्ड टीमों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय हो जाता है।

*****